[2021] 10 एस. सी. आर. 676

प्लासिडो फ़रांसिस्को पिंटो (डी) एलआर द्वारा। & अन्य

बनाम

जोस फ्रांसिसको पिंटो और ए. एन. आर.

(2007 की सिविल अपील सं. 1491)

30 सितंबर, 2021

[हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

अनुबंध अधिनियम, 1872 - एस. 25-अपीलार्थी नं. 25 द्वारा दायर कब्जे और खातों के लिए मुकदमा। 1 अपने छोटे भाई के खिलाफ-प्रतिवादी नं। 1

(प्रतिवादी संख्या 1) और उसकी पत्नी-(प्रतिवादी संख्या 2) ने आरोप लगाया कि उसने प्रतिवादी संख्या 1 के लेनदारों को निपटाने के बाद पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से उनसे मुकदमा संपत्ति खरीदी थी। 1 - प्रतिवादियों द्वारा बिक्री को अस्वीकार कर दिया गया, जिन्होंने बिक्री विलेख को अमान्य घोषित करने के लिए एक और मुकदमा दायर किया-अपीलार्थी का मुकदमा निचली अदालत द्वारा घोषित किया गया, प्रतिवादियों का मुकदमा खारिज कर दिया गया-पहली अपीलीय अदालत ने प्रतिवादियों द्वारा दायर अपीलों की अनुमति दी-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: एस के अनुसार। 25 , एक पंजीकृत बिक्री, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण, निकट संबंध में पक्षों के बीच, भले ही वह बिना हो

विचार, शून्य नहीं होगा-पक्ष निकट संबंधों में हैं, इसलिए, यदि अपीलार्थी नहीं। 1 बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई की मदद के लिए आया था जो पार्टियों के माता-पिता द्वारा उपहार में दी गई संपत्ति की नीलामी का सामना कर रहा था, और उसे छुट्टी दे दी थी

देनदार और नाममात्र बिक्री का उल्लेख करते हुए एक बिक्री विलेख निष्पादित किया

विचार करने पर, इसे विचार किए बिना बिक्री नहीं कहा जा सकता है-इसके अलावा, एक बार जब प्रतिवादी नं। 1 अपीलार्थी द्वारा अपने ऋणों के निर्वहन के लिए, आधिकारिक कर्तव्यों के सामान्य क्रम में पंजीकृत बिक्री विलेख में निम्नलिखित धारणा है -

शुद्धता उत्तरदाता सं। 1 रणनीतिक रूप से बिक्री विलेख के निष्पादन को स्वीकार करते हुए, उनका एकमात्र रुख दस्तावेज़ की प्रकृति के बारे में अज्ञानता है जिस पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे-तथ्यों पर, ऐसी अज्ञानता गलत निरूपण/धोखाधड़ी का उदाहरण नहीं है-अपीलकर्ता नं। 1 पुनर्स्थापित किया जाता है-प्रत्यर्थियों द्वारा दायर मुकदमा खारिज कर दिया जाता है-साक्षय अधिनियम, 1872 - धारा 92-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-कार्य और दस्तावेज-धोखाधड़ी।

साक्षय अधिनियम, 1872। 92 & परंतुक (1)-का दायरा -

चर्चा की।

676 प्लासिडो फ़्रांसिस्को पिंटो (डी) एलआर द्वारा। वी. जोस फ्रांसिसको पिंटो

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

Or.VI, आर. 2-दलीलें-आयोजित: प्रत्येक अभिवचन में भौतिक तथ्यों के रूप में केवल एक संक्षिप्त कथन होगा और इसमें शामिल होगा।

जिस पर पक्षकार अभिवचन करता है, उस पर निर्भर करता है, लेकिन उस साक्षय पर नहीं जिसके द्वारा उन्हें साबित किया जाना चाहिए।

Or.VI, आर. 4-आयोजित: एक पक्ष यदि किसी गलत निरूपण पर निर्भर करता है,

धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव, दलीलों में तारीखों और वस्तुओं के साथ विवरण बताएगा।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

विचार शून्य है लेकिन यदि कोई दस्तावेज़ पक्षकारों के बीच स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के कारण पंजीकृत है एक-दूसरे के निकट संबंध में, तो ऐसा समझौता अमान्य नहीं है।

पक्ष निकट संबंधों में हैं, अपीलार्थी संख्या 1 बड़े भाई और बिक्री को उसके छोटे की मदद करने के लिए निष्पादित किया गया था

ड्रम की ताल द्वारा प्रश्न में। इसलिए, यदि बड़ा भाई छोटे भाई की मदद के लिए आया था, अपने देनदारों का भुगतान कर रहा था और नाममात्र बिक्री पर विचार का उल्लेख करते हुए एक बिक्री विलेख निष्पादित कर रहा था, तो इसे बिना विचार के बिक्री नहीं कहा जा सकता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए Rs.12,000/- की राशि का भुगतान किया गया था। एक बार जब प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा अपने ऋणों के निर्वहन की स्वीकृति हो जाती है, तो आधिकारिक कर्तव्यों के सामान्य पाठ्यक्रम में पंजीकृत बिक्री विलेख में शुद्धता की धारणा होती है जिसे सही नहीं कहा जा सकता है। केवल बनावटी अज्ञानता के आधार पर अवैध होगा कि उसके हस्ताक्षर उन कागजों पर प्राप्त किए गए थे जिन्हें प्रतिवादी संख्या 1 और उसकी पत्नी को पता नहीं था। [पैरा 20,21] [686 ई, एफ-जी; 687-सी-ई]

एल. आर. वी. द्वारा बेलाची (मृत) पाकीरन (2009) 12 एस. सी. सी. 95

: [2009] 4 एस. सी. आर. 823-निर्भर।

1.2 प्रत्यर्थी संख्या 1 का एकमात्र रुख उस दस्तावेज़ की प्रकृति के बारे में अज्ञानता है जिस पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे।

अभियोग में अनुरोध नहीं किए जाने पर विचार या विचार या यह तथ्य कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के देनदारों को छुट्टी दे दी है, बिक्री विलेख के दस्तावेज को इस प्रकार प्रस्तुत नहीं करेगा शून्य। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश VI नियम 2 इस आशय का है कि प्रत्येक अभिवचन में केवल उन भौतिक तथ्यों के संक्षिप्त रूप में एक बयान होगा, जिस पर अभिवचन करने वाला पक्ष अपने दावे या बचाव के लिए निर्भर करता है, लेकिन उन सबूतों पर नहीं जिनके द्वारा उन्हें साबित किया जाना चाहिए। अपीलार्थी सं. 1 ने बिक्री विलेख पर भरोसा किया है जिसमें बिक्री प्रतिफल के रूप में 3,000/- रुपये के भुगतान का पाठ शामिल है। अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत में इस तरह के बिक्री विलेख के समर्थन में साक्षय का अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं थी।

इसके अलावा, संहिता के आदेश VI नियम 4 के संदर्भ में, उन सभी मामलों में जिनमें पक्षकार अभिवचन किसी भी गलत निरूपण, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव पर निर्भर करता है, अभिवचनों में तारीखों और मदों के साथ विवरण बताएगा। लिखित बयान या शिकायत के उद्धरण से यह नहीं पता चलता है कि गलत तरीके से प्रस्तुत करने या धोखाधड़ी की कोई दलील है। के नेतृत्व में साक्षय

गलत निरूपण भी। अदालतों द्वारा नीचे दर्ज किए गए निष्कर्ष कि बिक्री विलेख धोखाधड़ी या गलत निरूपण का परिणाम था स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं हैं। [पारस 22,23] [687-एफ-एच; 688-ए-ई]

1.3 लिखित समझौते के मौखिक साक्षय को बाहर रखा जाता है सिवाय इसके कि जब दस्तावेज़ पर एक नकली लेनदेन के रूप में आरोप लगाया जाए। एक बिक्री विलेख को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है अर्थात एक दस्तावेज जिसे दस्तावेज़ के रूप में कम करने के लिए कानून द्वारा आवश्यक है। इसलिए, किसी भी मौखिक समझौते या बयान का कोई सबूत इसकी शर्तों का खंडन करने, बदलने, जोड़ने या घटाने के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा। एल. आर. द्वारा प्लासिडो फ़्रांसिस्को पिंटो (डी) की धारा 92 का परंतुक (1)।

साक्षय अधिनियम ऐसे तथ्य का प्रमाण है जो धोखाधड़ी, धमकी, अवैधता, उचित निष्पादन की कमी, किसी भी अनुबंध पक्ष में क्षमता की कमी, विचार की कमी या विफलता, या तथ्य या कानून में गलती जैसे किसी भी दस्तावेज को अमान्य कर देगा। उत्तरदाता बिक्री विलेख के निष्पादन में धोखाधड़ी साबित करने के लिए स्वतंत्र थे। हालाँकि, वास्तव में, प्रत्यर्थियों ने अपने मुकदमे में या अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा दायर मुकदमे में लिखित बयान में किसी भी धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया है। दस्तावेज़ की प्रकृति के बारे में बनावटी अज्ञानता को धोखाधड़ी का उदाहरण नहीं कहा जा सकता है। किसी भी दलील या सबूत के अभाव में धोखाधड़ी के मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 उस लिखित दस्तावेज से बंधा है जिस पर उसने अपने और अपनी पत्नी के हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। ऐसा कोई मौखिक साक्षय नहीं है जो धोखाधड़ी, धमकी, अवैधता या बिक्री विलेख पर विवाद करने के लिए उत्तरदाताओं को मौखिक साक्षय देने की अनुमति देने के लिए विचार की विफलता को साबित कर सके। विशेष दीवानी मुकदमा संख्या 55/77/1 में निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बहाल कर दिया गया है। विशेष दीवानी मुकदमा सं. 71/80/I खारिज कर दिया जाता है। [पारस 27-30] [691-E-H; 692-C-D, F]

श्रीमती. गंगाबाई बनाम रामबिलास गिल्डा बनाम। श्रीमती. छाबुबाई

पुखराजजी गाँधी (1982) 1 एस. सी. सी. 4: [1982] 1 एससीआर

1176 ; रूप कुमार बनाम। मोहन थेडन (2003) 6 एससीसी 595 [2003] 3 एससीआर 292-प्रतिष्ठित।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 4 एससीआर 823

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

[1982] 1 एससीआर 1176

प्रतिष्ठित

पैरा 24

[2003] 3 एससीआर 292

प्रतिष्ठित

पैरा 24

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.1491

2007 .

उच्च न्यायालय के 16.08.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से

गोवा में बॉम्बे की दूसरी अपील संख्या। 168 और 2005 का 139।

सुश्री बीनू टम्टा, ध्रुव टम्टा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए। ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , यशराज सिंह देवड़ा, सुश्री सोनल

मशनकर, मेसर्स मित्तर एंड मित्तर कंपनी के लिए सुश्री प्रकृति रॉय, एड. उत्तरदाताओं के लिए।

[2021] 10

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. वादी के कानूनी प्रतिनिधियों ने इस न्यायालय के समक्ष अपील की है, जो 16.8.2006 पर दूसरी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए प्रथम अपीलीय न्यायालय दिनांक 6.7.2005 के फैसले और डिक्री से व्यथित है।

3. वादी ने अन्य बातों के साथ दलील दी थी कि प्रतिवादी नंबर 1-जोस फ्रांसिस्को पिंटो ने पहले अपनी एक संपत्ति वादी को बेच दी थी। वर्ष 1962 में उनके द्वारा उठाए गए ऋणों का समय पर निर्वहन करने में विफलता के कारण। इसके बाद, वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के लेनदारों को निपटाने के बाद एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से संपत्ति का दक्षिणी हिस्सा खरीदा ताकि उनकी पैतृक संपत्ति को बचाया जा सके।

वादी ने एक बड़े भाई के रूप में अपने छोटे भाई को पांच साल तक घर में रहने की अनुमति दी। प्रतिवादी संख्या 1 ने इस अवधि के दौरान अन्य प्रतिवादियों से भी किराया एकत्र किया। वादी ने 14.9.1970 पर निष्पादित बिक्री विलेख पर भरोसा करते हुए 10.5.1977 पर पहला मुकदमा दायर किया और "पेड्डा" नामक संपत्ति के दक्षिणी आधे हिस्से के संबंध में 23.9.1970 पर पंजीकृत किया। यह दलील दी जाती है कि प्रतिवादी सं। 3 9 तक परिसर में मौजूद छह घरों के किरायेदारों के रूप में परिसर पर कब्जा कर रहे हैं। 4. वादी ने दलील दी थी कि उसके बाद वाद संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 और उसकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 2 से खरीदी गई थी, उक्त प्रतिवादियों ने उस पर कई आरोप और अड़चनें पैदा की थीं और वादी ने इसकी अनिवार्य नीलामी को रोकने के लिए-एक लेनदार के कहने पर बिक्री, उन सभी आरोपों और अड़चनों का भुगतान किया था और उन्हें दूर कर दिया था जिससे वाद संपत्ति के बाजार मूल्य से बहुत अधिक खर्च किया गया था, और यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 14.9.1970 पर वादी के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया था। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने पांच साल की समाप्ति के

बाद संपत्ति खाली नहीं की थी, इसलिए एक अधिवक्ता का नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा 6.11.1976 पर भेजा गया था जिसमें उसे मुकदमे की संपत्ति को आत्मसमर्पण करने और दूसरे प्रतिवादी से किराया वसूलना बंद करने के लिए कहा गया था।

1 इसके बाद एल. आर. द्वारा 'प्रथम सूट' प्लासिडो फ़्रांसिस्को पिंटो (डी) के रूप में संदर्भित किया जाता है।

वी. जोस फ़्रांसिस्को पिंटो [हेमान्ट गुप्ता, जे।]

नं. 3 9 तक। इसलिए, प्रतिवादी संख्या द्वारा कब्जा किए गए घर के खाली कब्जे का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया गया था। 1 और 2 और प्रतिवादी संख्या का निर्देशन करना। 1 और 2 प्रतिवादी सं. से उसके द्वारा प्राप्त धन का लेखा प्रस्तुत करना। 3 9 तक किराया। 11.8.1977 पर दायर लिखित बयान में, प्रतिवादी संख्या। 1 और 2 ने निम्नानुसार निवेदन किया है:

प्रतिवादी नं. के हस्ताक्षर प्राप्त करने में कामयाब रहे। 1 और 2 जो पढ़ना या लिखना नहीं जानते हैं सिवाय इसके कि वे अपना नाम खुद लिखते हैं। ये प्रतिवादी अपनी संपत्ति को बेचने से इनकार करते हैं वादीक पैराग्राफ 2 मे वर्णित वादी।
"

5. एक अन्य मुकदमा, विशेष दीवानी मुकदमा संख्या 71/80/12, प्रत्यर्थियों द्वारा 1.7.1980 पर अपीलार्थियों के खिलाफ दायर किया गया था।

इस आधार पर कि उन्होंने कभी भी वाद संपत्ति के दक्षिणी आधे हिस्से को अपीलार्थियों को नहीं बेचा था और न ही किसी व्यक्ति को बेचने का इरादा था। यह भी दावा किया गया कि उन्होंने कभी भी अपीलार्थियों के पक्ष में कोई बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया था और न ही बिक्री के विचार के रूप में कोई राशि प्राप्त की थी। यह विशेष रूप से निम्नानुसार अनुरोध किया गया था:

" 13. वादी का कहना है कि उन्होंने कभी भी मुकदमे की संपत्ति के बिक्री विलेख को निष्पादित नहीं किया और वे कभी भी बिक्री विलेख को पंजीकृत करने के लिए मडगांव के उप-पंजीयक के कार्यालय में नहीं गए थे। हालांकि, प्रतिवादी नं। 1 वर्ष 1970 में वादी को उप-पंजीयक, मडगांव के कार्यालय में ले जाया गया था और उन्हें ऋण राशि के संबंध में एक दस्तावेज के रूप में स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। से रु . 12000 / - (
केवल बारह हजार रुपये) प्रतिवादी सं। 1 वादी के लेनदारों को सं। 1. उन्होंने आगे समझाया कि उनके लिए वादी से वादी के लेनदारों को भुगतान की गई राशि के बारे में लिखित रूप में लेना आवश्यक है और वह राशि वादी द्वारा उसे देय थी। डाक टिकट पर लेखन रोमन लिपियों में था और भाषा के बारे में लोगों को पता नहीं था।

वादी और अब पता चला कि यह पुर्तगाली में है।

2 इसके बाद इसे 'दूसरा सूट' कहा जाता है। [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. पहले मुकदमे में पक्षकारों पर निम्नलिखित मुद्दों पर मुकदमा चलाया गया:

" (i) क्या वादी यह साबित करता है कि प्रतिवादी संख्या। 1 और 2 पेड़ा स्थित संपत्ति के दक्षिणी आधे हिस्से को वादी को बेच दिया।

पाँच साल के लिए बिना किसी शुल्क के घर? ((ग) क्या वादी यह साबित करता है कि उसने प्रतिवादी संख्या 1 को 5 वर्ष बीत जाने के बाद वाद परिसर को समर्पण करने का सुझाव दिया था?

((iv) क्या प्रतिवादी संख्या। 1 और 2 यह साबित करें कि बिक्री विलेख वादी द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था?

(v) कौन-सी राहत, कौन-सा आदेश?

(vi) क्या प्रतिवादी यह साबित करते हैं कि मुकदमा कम मूल्यवान है।

7. वादी ने खुद को पीडब्लू-1 के रूप में जांच की और दायर की गई शिकायत में उसके अनुरोध के अनुसार गवाही दी। सिल्वेस्टर कॉटिन्हो (पीडब्लू-2) ने अपदस्थ किया कि वादी के घर के पास चैपल के सामने सड़क पर ढोल की कुछ बजाई हुई थी और उसका घर वादी के घर के पीछे स्थित है। बेलिफ ने गवाह को बताया कि प्रतिवादी के घर की अदालत द्वारा नीलामी की जा रही है। देवीदास चारी (पीडब्लू-3) ने पार्टियों को देखा था।

एक ही स्थान पर रहना।

8. प्रतिवादी संख्या 1 डी. डब्ल्यू.-1 के रूप में उपस्थित हुआ। जाँच-इन-चीफ में, उन्होंने निम्नानुसार अपदस्थ किया:

" मैं वादी को जानता हूँ जो मेरा भाई है। सूट संपत्ति सहित

हमारे बीच घर को दो हिस्सों में बांटा गया है। मैंने किसी भी समय आधे घर और अपनी संपत्ति के संबंध में कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है, मैंने Rs.12,000/- का ऋण प्राप्त किया है, लेकिन सूट संपत्ति और मेरे घर के संबंध में मेरे आधे हिस्से के संबंध में इसका किसी भी प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। Rs.12,000/- का ऋण जो मैंने सुरक्षित किया था, मेरे भाई (वादी) द्वारा चुका दिया गया है। मैंने अपने भाई को सूट की राशि नहीं चुकाई है। लेकिन एक बार वादी ने मुझसे मेरे घर में पूछा कि मैं अपनी ओर से भुगतान की गई राशि कब चुकाने जा रहा हूं। चूंकि मैं राशि का भुगतान नहीं कर सका, इसलिए वादी ने

मुझे एक दस्तावेज निष्पादित करने के लिए कहा जिसमें उल्लेख किया गया था कि वह प्लैसिडो फ़्रांसिस्को पिंटो (डी) को एल. आर. द्वारा भुगतान करेगा।

वी. जोस फ़्रांसिस्को पिंटो [हेमान्ट गुप्ता, जे।]

हालाँकि, वादी ने मुझे और मेरी पत्नी को उन दस्तावेजों की सामग्री के बारे में नहीं बताया जिन पर उसने मेरे हस्ताक्षर प्राप्त किए थे और मेरी पत्नी। मैं कहता हूं कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने उक्त स्टाम्प पेपर पर दो-दो हस्ताक्षर किए। हम में से प्रत्येक द्वारा किए गए दो हस्ताक्षर नगर निगम भवन के बाहर प्राप्त किए गए थे और अन्य हस्ताक्षर एम. भवन के बगल में प्राप्त किए गए थे। यहां तक कि जब वादी ने मुझसे और मेरी पत्नी से दूसरा हस्ताक्षर प्राप्त किया, तब भी हमें दस्तावेजों की सामग्री के बारे में नहीं बताया गया। व्यक्ति।

जिनके सामने मैंने और मेरी पत्नी ने एम. बिल्डिंग में हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने उक्त दस्तावेजों की सामग्री का उपयोग करने की व्याख्या नहीं की। मुझे अंग्रेजी पढ़ना और लिखना नहीं आता है, मेरी पत्नी के मामले में भी ऐसा ही है। मैंने अपने कब्जे और स्वामित्व में आधा घर नहीं बेचा है। मुझे भी और मेरी जमीन किसी को भी।

वादी द्वारा उसकी ओर से भुगतान की गई Rs.12,000/- की राशि। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अधिकारी से उक्त दस्तावेज़ की सामग्री के बारे में उन्हें समझाने के लिए नहीं कहा। उक्त दिन वे और उनकी पत्नी उपस्थित थे। वह. इसके अलावा वादी को संपत्ति बेचने से इनकार करते हुए दिनांक 14.9.1970 (Ex. P/1) के बिक्री विलेख का हवाला दिया।

10. डी. डब्ल्यू.-2 एडुआर्डो पिंटो हैं। जिरह में, उन्होंने कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा श्री परेरा से लिए गए ऋण को मंजूरी दी गई थी वादी। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि वादी ने उनकी गाय की चोरी के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। रोमियो डी कोस्टा (डी. डब्ल्यू.-3) ने अपदस्थ किया कि वर्ष 1970 में कार्निवल दिवस पर, अदालत के दो व्यक्ति सूट संपत्ति में ढोल बजाने के लिए आए थे।

संपत्ति संलग्न करें। उस समय, अपीलार्थी ने [2021] 10 एस. सी. आर. के कर्मचारियों को बताया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में न्यायालय ने कहा कि वह संपत्ति पर ऋण का भुगतान करेगा और संपत्ति को जारी करने की मांग करेगा। जिरह में, वह स्वीकार करता है कि जब अदालत के कर्मचारी घोषणा के लिए ढोल लेकर आए,

वह अपीलार्थी के घर में मौजूद था लेकिन वह प्रतिवादी द्वारा उपार्जित ऋण की राशि से अनजान था।

11. विद्वत विचारण न्यायालय ने पाया कि द्वारा प्रस्तुत साक्षय

प्रतिवादी निर्गम संख्या के संबंध में विधिवत पंजीकृत बिक्री विलेख (एक्स. पी./1) का खंडन नहीं करते हैं। 2 और 3, जिनका निर्णय वादी के पक्ष में किया गया था। हालाँकि, मुद्दा संख्या 4 के संबंध में, न्यायालय ने वापस कर दिया

निम्नलिखित खोज:

" 12. डी. डब्ल्यू. 1 के बयान से यह पता चलता है कि वादी का कभी भी प्रतिवादियों को धोखा देने का कोई इरादा नहीं रहा है और न ही उन्होंने उन्हें कोई अनुबंध करने के लिए कोई प्रलोभन दिया है। डी. डब्ल्यू. 1 के साक्षय में जिस मौन की चर्चा की गई है, वह एक व्यक्ति की अनुबंध करने की इच्छा को दर्शाता है। यह चुप रहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह बोले या जब तक वह चुप नहीं है, यह बोलने के बराबर है। इस प्रकार, धारा 17 के किसी भी तत्व को प्रतिवादियों द्वारा पूरा नहीं किया गया है। यह मामला "।

12. इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रहे कि बिक्री विलेख धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। पहला मुकदमा तय किया गया था

24.2.1997 . 13. उत्तरदाताओं द्वारा दायर किया गया दूसरा मुकदमा 14.9.1970 दिनांकित पंजीकृत बिक्री विलेख को अमान्य घोषित करना था। उक्त मुकदमे में, प्रतिवादियों ने दलील दी कि उन्हें बिक्री के लिए कोई विचार प्राप्त नहीं हुआ था। दूसरा मुकदमा 16.1.2001 पर खारिज कर दिया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ, यह मानते हुए कि मुकदमा रेस जुडिकाटा के सिद्धांत द्वारा वर्जित है और बिक्री विलेख वैध है।

14. प्रतिवादियों ने यहां पहले और दूसरे मुकदमे में पारित निर्णय और डिक्री से दो अपील दायर की। इस तरह की अपीलों की सुनवाई की गई और एक साथ निर्णय लिया गया। प्रत्यर्थियों ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान क्रमशः प्रथम और द्वितीय वाद में लिखित बयान और वाद में भी संशोधन की मांग की। मुकदमा दायर करने और लिखित बयान के कई वर्षों के बाद इस तरह के संशोधनों की अनुमति 8.9.2004 पर दी गई थी। दोनों फैसलों के खिलाफ पहली अपील

और अन्य बातों के साथ-साथ विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आधारों पर डिक्री की अनुमति दी गई थी:

प्लासिडो फ़्रांसिस्को पिंटो (डी) एलआर द्वारा। वी. जोस फ़्रांसिस्को पिंटो [हेमंट गुप्ता, जे।]

((i)

अपीलार्थी ने इसके विपरीत मौखिक साक्षय प्रस्तुत किया है -

बिक्री विलेख की शर्तें। इसलिए, इस तरह के मौखिक साक्षय को साक्षय अधिनियम की धारा 91 द्वारा वर्जित किया गया है क्योंकि बिक्री विलेख में कोई पाठ नहीं है कि उसने मुकदमा संपत्ति खरीदने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के सभी बकाया का भुगतान किया है और उसे चुका दिया है।

((ख)

अपीलार्थी ने यह दलील नहीं दी है कि उसने 3,000/- रुपये का भुगतान किया था।

बिक्री विलेख के तहत विचार के रूप में। इसलिए, विचार के अभाव में बिक्री अमान्य है।

तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने कब्जा करना जारी रखा

(iii)

घर यह दिखाने के लिए जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 को यह समझने के लिए नहीं दिया गया था कि यह एक बिक्री विलेख था। इस तरह के हस्ताक्षर

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा बिक्री विलेख प्राप्त किया गया था

गलत निरूपण और छिपाना।

((iv) बिक्री पर विचार अपर्याप्त है; इसलिए, सहमति

विक्रेता को मुफ्त में नहीं दिया जाता था।

15. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि शिकायत और लिखित बयान में संशोधन के परिणामस्वरूप कोई सबूत नहीं दिया गया था। श्री ध्रुव

प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ वकील मेहता ने कहा कि धोखाधड़ी की ओर ले जाने वाले गलत निरूपण के संबंध में साक्षय पहले से ही रिकॉर्ड में था।

इसलिए, दलीलों में संशोधन किया गया ताकि साक्षय का समर्थन किया जा सके।

16. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अभिवचनों के संशोधन की अनुमति पहले नहीं दी जानी चाहिए थी अपील चरण और यह कि दूसरा मुकदमा प्रतिकार के सिद्धांत द्वारा वर्जित है

न्यायपालिका। लेकिन हम यह नहीं पाते हैं कि ऐसे प्रश्नों की जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि पहला मुकदमा और दूसरा मुकदमा अपील में लंबित था और थे

सामान्य निर्णय द्वारा निर्णय लिया गया। और भी आगे, में संशोधन के बाद से

अभियोग और लिखित कथन के प्रयोग की अनुमति दी गई है

प्रथम अपीलीय न्यायालय में निहित विवेकाधिकार, हम यह नहीं पाते हैं कि

इस स्तर पर संशोधन को विवादित होने की अनुमति दी जा सकती है। 17. अपीलार्थियों ने एल. आर. वी. द्वारा बेलाची (मृत) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। पाकीरन 3 ने तर्क दिया कि सबूत का बोझ

दस्तावेजों की वास्तविकता के बारे में विक्रेता पर निर्भर करता है। मामले में

एक पंजीकृत दस्तावेज़ में, एक धारणा है कि इसे निष्पादित किया गया था कानून के अनुसार। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

3 3 (2009) 12 एससीसी 95 [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 17. किसी मामले में यह माना जा सकता है कि जब एक अनपढ़, क्षमाशील महिला बिक्री विलेख निष्पादित करती है, तो बोझ बढ़ेगा।

यह साबित करने के लिए विक्रेता पर निर्भर रहें कि यह (एस. आई. सी.) बिक्री विलेख एक वास्तविक दस्तावेज था। हालाँकि, यह एक पंजीकृत दस्तावेज़ है। यह अपने साथ एक धारणा रखता है कि इसे इसके अनुसार निष्पादित किया गया था कानून। एक बार फिर इस तथ्य पर समवर्ती निष्कर्ष निकाला गया है कि

अपीलार्थी एक अनपढ़ महिला नहीं थी या वह यह समझने में असमर्थ थी कि उसने क्या किया था।

18. प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिलिखित प्राथमिक निष्कर्ष, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर हैं।

गलत तरीके से प्रस्तुत करके प्राप्त किया गया। श्री मेहता ने जोरदार तर्क दिया कि गलत निरूपण धोखाधड़ी का एक और पहलू है और वादी के नेतृत्व में बिक्री पर विचार के मौखिक साक्षय को सही ढंग से स्वीकार नहीं किया गया था।

19. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और पाया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

अदालत स्पष्ट रूप से गलत है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने लिखित बयान में अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा अपने लेनदारों को Rs.12,000/- का भुगतान स्वीकार किया है। उनके द्वारा यह भी स्वीकार किया जाता है कि उनके और उनकी पत्नी के हस्ताक्षर थे

नगरपालिका कार्यालय के बाहर और नगरपालिका भवन में अधिकारियों के सामने भी प्राप्त किया गया जब कार्यालय में लगभग 10-12 लोग थे।

20. बिक्री विलेख (एक्स. पी./1) में एक पाठ था कि मुकदमा संपत्ति

इसे 3,000/- रुपये में बेचा गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने एक निष्कर्ष वापस किया कि इस तरह के बिक्री पर विचार का उल्लेख वाद में नहीं किया गया था और यह कि साक्षय रिकॉर्ड पर आया है कि ऐसे ऋण थे जिनका निपटान अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा किया गया था जो तथ्य बिक्री विलेख में भी नहीं पढ़ा गया है। इस प्रकार, यह बिना किसी विचार के एक बिक्री है। रिलायंस को रखा गया था

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 18724 की धारा 25। हम पाते हैं कि इस तरह का निष्कर्ष कानून में सही नहीं है। अनुबंध अधिनियम की धारा 25 इस प्रभाव के लिए है कि बिना विचार के एक समझौता अमान्य है, लेकिन यदि कोई दस्तावेज पक्षकारों के बीच स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के कारण पंजीकृत है। एक-दूसरे के निकट संबंध होने पर ऐसा समझौता अमान्य नहीं होगा। अनुबंध अधिनियम की धारा 25 निम्नानुसार है:

" 25. बिना विचार के समझौता अमान्य है, जब तक कि यह लिखित और पंजीकृत न हो, या किसी कार्य के लिए क्षतिपूर्ति करने का वादा न हो, या सीमा कानून द्वारा वर्जित ऋण का भुगतान करने का वादा न हो। - अ. बिना
विचार किए किया गया समझौता अमान्य है, जब तक कि

4 संक्षेप में, एल. आर. द्वारा 'अनुबंध अधिनियम' प्लैसिडो फ़रांसिस्को पिंटो (डी)। वी. जोस फ़रांसिस्को पिंटो [हेमान्ट गुप्ता, जे।]

(1) इसे लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है और कानून के तहत पंजीकृत किया जाता है

दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए समय लागू है, और किया जाता है

पक्षकारों के बीच स्वाभाविक प्रेम और स्नेह का विवरण

एक दूसरे के निकट संबंध; या जब तक कि

(2)

XX

XX

इनमें से किसी भी मामले में, ऐसा समझौता एक अनुबंध है।

XX

XX

XX

चित्रण (बी)। ए, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के लिए, देने का वादा करता है

उनके बेटे, बी, 1,000 रुपये। ए बी से अपना वादा लिखित रूप में करता है और

इसे रजिस्टर करें। यह एक अनुबंध है। "

21. पक्ष निकट संबंधों में हैं, अपीलार्थी संख्या 1

बड़े भाई और बिक्री को उसके छोटे भाई की मदद के लिए निष्पादित किया गया था जो पार्टियों के माता-पिता द्वारा उपहार में दी गई संपत्ति की नीलामी का सामना कर रहा था। यहां तक कि प्रतिवादियों के गवाहों ने भी स्वीकार किया है कि ड्रम बजाकर संपत्ति की अदालत की नीलामी का नोटिस था। इसलिए, अगर बड़ा भाई छोटे भाई की मदद के लिए आया था, निर्वहन

उसके देनदार और नाममात्र की बिक्री का उल्लेख करते हुए एक बिक्री विलेख निष्पादित करना इसे विचार किए बिना बिक्री नहीं कहा जा सकता है। यह प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया जाता है कि रु। 12,000 / - अपीलार्थी नं. 1 द्वारा अपने ऋणों के निर्वहन के लिए भुगतान किया गया था। एक बार जब वहाँ एक प्रवेश है

अपीलार्थी सं. 1 द्वारा अपने ऋणों के निर्वहन का प्रत्यर्थी सं. 1, आधिकारिक कर्तव्यों के सामान्य क्रम में पंजीकृत बिक्री विलेख में शुद्धता का अनुमान होता है जिसे केवल इस अज्ञानता के आधार पर अवैध नहीं कहा जा सकता है कि उसके हस्ताक्षर कागजों पर प्राप्त किए गए थे जो प्रत्यर्थी सं. 1 और उसकी पत्नी को पता नहीं था। बेलाची में इस न्यायालय का निर्णय अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए तर्क का समर्थन करता है।

22. उत्तरदाता नंबर 1 का एकमात्र रुख प्रकृति की अज्ञानता है।

जिस दस्तावेज़ पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे। इस तरह की अज्ञानता वर्तमान मामले के तथ्यों में गलत निरूपण या धोखाधड़ी का उदाहरण नहीं है जो उप-पंजीयक के साथ निष्पादित और पंजीकृत बिक्री विलेख को दूषित कर देगा। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वह अपनी पत्नी के साथ उप-पंजीयक के कार्यालय गया था, एक बार नगर निगम भवन के बाहर और एक बार अधिकारियों के सामने हस्ताक्षर किया था, यह दर्शाता है कि उसने रणनीतिक रूप से बिना स्पष्ट रूप से बताए बिक्री विलेख के निष्पादन को स्वीकार किया है। हम पाते हैं कि नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्ष कि दस्तावेज़ पर विचार नहीं किया गया है या वाद में विचार नहीं किया गया है या यह तथ्य कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के देनदारों को आरोपमुक्त कर दिया है, बिक्री विलेख के दस्तावेज़ को शून्य नहीं बना देगा।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. सिविल प्रक्रिया संहिता, 19085 का आदेश VI नियम 2 इस आशय का है कि प्रत्येक अभिवचन में केवल उन भौतिक तथ्यों के संक्षिप्त रूप में एक बयान होगा, जिन पर अभिवचन करने वाला पक्ष भरोसा करता है।

उसके दावे या बचाव के लिए, जैसा भी मामला हो, लेकिन उन सबूतों के लिए नहीं जिनके द्वारा उन्हें साबित किया जाना चाहिए। अपीलार्थी सं. 1 ने बिक्री विलेख पर भरोसा किया है जिसमें 3,000/- रुपये के भुगतान का पाठ शामिल है।

बिक्री पर विचार के रूप में। अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत में इस तरह के बिक्री विलेख के समर्थन में साक्षय का अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, संहिता के आदेश VI नियम 4 के संदर्भ में, उन सभी मामलों में जिनमें पक्षकार अभिवचन किसी भी गलत निरूपण, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव पर निर्भर करता है, अभिवचनों में तारीखों और मदों के साथ विवरण बताएगा। लिखित बयान या शिकायत के उद्धरण से यह नहीं पता चलता है कि गलत तरीके से प्रस्तुत करने या धोखाधड़ी की कोई दलील है। उत्तरदाताओं के नेतृत्व में साक्षय धोखाधड़ी या गलत निरूपण के किसी भी उदाहरण का संकेत नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 यह स्वीकार करने के लिए पर्याप्त स्पष्ट था कि रुपये का ऋण था। 12,000 / - जिनका भुगतान अपीलार्थी सं. 1 द्वारा किया गया था। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसे नगर निगम कार्यालय ले जाया गया और एक बार नगर निगम कार्यालय के बाहर और एक बार नगर निगम कार्यालय के अंदर हस्ताक्षर किए गए।

नगरपालिका कार्यालय। उनके साथ उनकी पत्नी भी थीं। अभिलेख पर ऐसे तथ्यों के साथ, हम पाते हैं कि न्यायालयों द्वारा नीचे दर्ज किए गए निष्कर्ष कि बिक्री विलेख धोखाधड़ी या गलत निरूपण का परिणाम था, स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं हैं।

24. श्री ध्रुव मेहता ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया जो श्रीमती के रूप में रिपोर्ट किए गए थे। गंगाबाई बनाम रामबिलास गिल्डा बनाम। श्रीमती. छाबुबाई डब्ल्यू/ओ

5 संक्षेप में, 'कोड' 6 (1982) 1 एससीसी 4

7 (2003) 6 एस. सी. सी. 595 प्लासिडो फ़्रांसिस्को पिंटो (डी) एल. आर. द्वारा। वी. जोस फ़्रांसिस्को पिंटो [हेमान्ट गुप्ता, जे।]

अधिनियम, 18728 वादी को लेन-देन की वास्तविक प्रकृति स्थापित करने से नहीं रोकता था। अपील में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 92 का पहला परंतुक किसी भी तथ्य की अनुमति देता है जो साबित कर सकता है कि किसी भी दस्तावेज को अमान्य कर देगा, जैसे कि धोखाधड़ी, धमकी,

अवैधता, उचित निष्पादन की कमी को साक्षय में लाया जा सकता है। यह न्यायालय प्रतिवादी की अपील को खारिज करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित करता है:

" 11. ..... यह हमारे लिए स्पष्ट है कि धारा 92 की उप-धारा (1) द्वारा लगाया गया प्रतिबंध केवल तभी लागू होता है जब कोई पक्ष इस पर भरोसा करना चाहता है -

लेन-देन की शर्तों को शामिल करने वाला दस्तावेज़। उस स्थिति में, कानून घोषणा करता है कि लेन-देन की प्रकृति और इरादा दस्तावेज़ की शर्तों से ही एकत्र किया जाना चाहिए और किसी भी मौखिक समझौते या बयान का कोई सबूत स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसे दस्तावेज़ के पक्षों के बीच इसकी शर्तों का खंडन या संशोधन करने के उद्देश्य से किया गया है। उप-धारा तब आकर्षित नहीं होती है जब किसी पक्ष का मामला यह होता है कि दस्तावेज़ में दर्ज किए गए लेन-देन पर पार्टियों के बीच कभी भी कार्रवाई करने का इरादा नहीं था और दस्तावेज़ एक दिखावा है। ऐसा सवाल तब उठता है जब पक्ष यह दावा करता है कि एक अलग लेनदेन हुआ था
पूरी तरह से और दस्तावेज़ में जो दर्ज किया गया है, उसका कोई भी परिणाम नहीं होना चाहिए। उस उद्देश्य के लिए मौखिक साक्षय यह दिखाने के लिए स्वीकार्य है कि निष्पादित दस्तावेज़ कभी नहीं था

एक समझौते के रूप में काम करने का इरादा है, लेकिन यह कि कुछ अन्य समझौते, जो दस्तावेज़ में दर्ज नहीं हैं, बीच में किए गए थे।

पक्षकार। "(जोर दिया गया)

25. उपरोक्त निर्णय को पढ़ने से पता चलेगा कि वादी के लिए यह दावा करना खुला था कि दस्तावेज़ का उद्देश्य कभी भी ऐसा नहीं था -

कार्रवाई की जाए और दस्तावेज़ एक दिखावा है। ऐसा प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब एक पक्ष यह दावा करता है कि दस्तावेज़ में जो दर्ज किया गया है, उससे पूरी तरह से अलग लेनदेन हुआ है। यह उस उद्देश्य के लिए मौखिक साक्षय है।

स्वीकार्य है। 26. रूप कुमार के मामले में, इस अदालत को प्रतिवादी द्वारा दायर एक अपील पर रोक लगा दी गई थी, जो कब्जे और प्रत्यर्पण के लिए एक मुकदमे से उत्पन्न हुई थी।

खाते। वादी ने दावा किया कि उसने 15.5.1975 पर प्रतिवादी के साथ एक एजेंसी-सह-लाइसेंस विलेख में प्रवेश किया और ऐसी एजेंसी-सह-लाइसेंस समझौते की शर्तों को एक में शामिल किया गया था

दिनांकित समझौता 15.5.1975। प्रतिवादी का रुख यह था कि वह था 8 संक्षेप में, 'साक्षय अधिनियम' [2021] 10 एस. सी. आर.

वादी के अधीन किरायेदार के रूप में वैध अधिकार में। निचली अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रतिवादी और अपीलार्थी के बीच दिनांकित 15.5.1975 समझौते द्वारा साक्षय दिया गया लेन-देन लाइसेंस के बराबर है न कि उप-पट्टा देने के। उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल यह था कि क्या पक्षकारों के बीच संबंध एक लाइसेंसधारी और लाइसेंसधारी का है या वह

पट्टेदार और पट्टेदार का। पहली याचिका खारिज कर दी गई थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह सामान्य और सबसे कठोर नियम है कि लिखित उपकरणों के संबंध में, किसी भी अन्य साक्षय का उपयोग या तो ऐसे उपकरणों के विकल्प के रूप में, या उनका खंडन करने या उन्हें बदलने के लिए नहीं किया जाता है। यह सिद्धांत और नीति दोनों का मामला है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि साक्षय अधिनियम की धारा 92 में, विधायिका ने अनुबंध को बदलने के उद्देश्य से मौखिक साक्षय को प्रस्तुत करने से रोक दिया है, इस तरह के अनुबंध को इस तरह के लेखन को प्रस्तुत करके साबित किया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 91 धारा 92 द्वारा अधिरोपित सीमा के साथ किसी दस्तावेज़ के प्रमाण के तरीके से संबंधित। यदि धारा 91 के तहत अपनी शर्तों को साबित करने के लिए दस्तावेज़ पेश किए जाने के बाद, धारा 92 के प्रावधान किसी भी मौखिक समझौते या बयान के साक्षय को उसके शब्दों से विरोधाभासी, भिन्न, जोड़ने या घटाने के उद्देश्य से हटाने के उद्देश्य से लागू होते हैं। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 17. इसी तरह यह एक सामान्य और सबसे कठोर नियम है कि जहां भी लिखित उपकरणों को या तो कानून की आवश्यकता से, या पक्षों के अनुबंध से, सत्य के भंडार और स्मारक के रूप में नियुक्त किया जाता है, किसी भी अन्य साक्षय को या तो ऐसे उपकरणों के विकल्प के रूप में, या उनका खंडन करने या उन्हें बदलने के लिए उपयोग करने से बाहर रखा जाता है। यह सिद्धांत और नीति दोनों का मामला है। यह सिद्धांत रूप से है क्योंकि ऐसे उपकरण अपनी प्रकृति में हैं और

मूल, मौखिक साक्षय की तुलना में बहुत अधिक क्रेडिट का हकदार है। यह नीतिगत है क्योंकि अगर उन उपकरणों, जिन पर पुरुषों के अधिकार निर्भर थे, पर ढीले संपार्श्विक साक्षय द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है, तो इसे बड़ी शरारत के साथ निपटाया जाएगा। (स्टार्की को देखें

साक्षय, पी। 648.)

18. धारा 92 में विधायिका ने अनुबंध के पक्षों के बीच अनुबंध को बदलने के उद्देश्य से मौखिक साक्षय प्रस्तुत करने से रोक दिया है; लेकिन, धारा 91 के तहत ऐसी कोई सीमाएं नहीं लगाई गई हैं। धारा 91 और 92 की न्यायिक स्थिति और इस तरह के सीमित शब्दों की धारा 91 से जानबूझकर चूक को ध्यान में रखते हुए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोई तीसरा पक्ष भी यदि कुछ अन्य लोगों के बीच एक विशेष अनुबंध स्थापित करना चाहता है, तो एल. आर. द्वारा प्लासिडो फ़्रांसिस्को पिंटो (डी)।

वी. जोस फ़्रांसिस्को पिंटो [हेमंट गुप्ता, जे।]

जहां कानून के तहत ऐसा अनुबंध लिखित में होना चाहिए, केवल इस तरह के लेखन को प्रस्तुत करके इस तरह के अनुबंध को साबित करें।

XX

XX

XX

21. बाह्य साक्षय के बहिष्करण के आधार इस प्रकार हैं: ((i) स्वीकार करना। कमतर साक्षय जब कानून उच्चतर की मांग करता है तो यह राशि होगी

कानून को रद्द करने के लिए, और (ii) जब पक्षों ने जानबूझकर रखा है

लिखित रूप में उनका समझौता, यह निर्णायक रूप से माना जाता है, के बीच

स्वयं और उनकी निजता, कि वे लेखन बनाने का इरादा रखते थे

उनके इरादों का एक पूर्ण और अंतिम बयान, और जो होना चाहिए

विश्वासघाती स्मृति। 22. गंगाबाई बनाम में यह न्यायालय। छाबुबाई [(1982) 1 एस. सी. सी. 4: एयर

1982 एससी 20] और ईश्वर दास जैन बनाम। सोहन लाल [(2000) 1 एससीसी

434 : ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 426] ने धारा 92 (1) के संदर्भ में अभिनिर्धारित किया कि किसी विलेख के पक्षकार को यह तर्क देने की अनुमति है कि विलेख था

इस पर कार्रवाई करने का इरादा नहीं था, बल्कि यह केवल एक नकली दस्तावेज था। बार केवल तभी उत्पन्न होता है जब दस्तावेज़ पर भरोसा किया जाता है और इसका

यह दिखाने के लिए स्वीकार्य है कि निष्पादित दस्तावेज़ का उद्देश्य कभी नहीं था एक समझौते के रूप में काम करने के लिए लेकिन कि कुछ अन्य समझौते

पूरी तरह से, दस्तावेज़ में दर्ज नहीं किया गया था

दलों के बीच "। (जोर दिया गया) 27. उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि मौखिक

एक लिखित समझौते के साक्षय को बाहर रखा जाता है सिवाय इसके कि जब दस्तावेज़ पर एक नकली लेनदेन के रूप में आरोप लगाया जाए।

28. यह विवाद से परे है कि एक बिक्री विलेख को पंजीकृत किया जाना आवश्यक है।

यानी कानून द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ को दस्तावेज़ के रूप में घटाया जाना। इसलिए, किसी भी मौखिक समझौते या बयान का कोई सबूत इसकी शर्तों का खंडन करने, बदलने, जोड़ने या घटाने के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा। साक्षय अधिनियम की धारा 92 का परंतुक (1) जो भरोसा रखा गया था, ऐसे तथ्य का प्रमाण है जो अमान्य होगा।

धोखाधड़ी, धमकी, अवैधता, उचित निष्पादन की कमी, किसी भी संविदाकारी पक्ष में क्षमता की कमी, विचार की कमी या विफलता, या तथ्य या कानून में गलती जैसे कोई भी दस्तावेज। साक्षय अधिनियम की धारा 92 निम्नानुसार है:

" 92. साक्षय या मौखिक समझौते का बहिष्करण। - जब शर्तें

ऐसे किसी अनुबंध, अनुदान या संपत्ति के अन्य निपटान, या किसी भी [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून द्वारा आवश्यक मामले को दस्तावेज़ के रूप में कम करने के लिए, अंतिम धारा के अनुसार साबित किया गया है, किसी भी मौखिक समझौते या बयान का कोई सबूत स्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसा कि बीच में है।

ऐसे किसी लिखत के पक्षकार या हित में उनके प्रतिनिधि, विरोध करने, परिवर्तन करने, जोड़ने या घटाने के उद्देश्य से

से, इसकी शर्तें: प्रोविसो (1)। — कोई भी तथ्य साबित किया जा सकता है जो अमान्य होगा।

कोई दस्तावेज, या जो किसी व्यक्ति को किसी डिक्री का हकदार बनाएगा

या उससे संबंधित आदेश; जैसे धोखाधड़ी, धमकी, अवैधता, उचित निष्पादन की कमी, किसी भी संविदाकारी पक्ष में क्षमता की कमी, विचार की कमी या विफलता, या तथ्य या कानून में गलती।

29. उत्तरदाता बिक्री विलेख के निष्पादन में धोखाधड़ी साबित करने के लिए स्वतंत्र थे। हालाँकि, वास्तव में, उत्तरदाताओं ने कोई आरोप नहीं लगाया है उनके मुकदमे में या अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमे में लिखित बयान में धोखाधड़ी

नंबर 1. दस्तावेज़ की प्रकृति के बारे में बनावटी अज्ञानता को धोखाधड़ी का उदाहरण नहीं कहा जा सकता है। किसी भी दलील या सबूत के अभाव में धोखाधड़ी, प्रतिवादी संख्या 1 उस लिखित

दस्तावेज़ से बंधा है जिस पर उसने अपने और अपनी पत्नी के हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। ऐसा कोई मौखिक साक्षय नहीं है जो धोखाधड़ी, धमकी, अवैधता या विचार की विफलता को साबित कर सके।

उत्तरदाताओं को दिनांकित 14.9.1970 के बिक्री विलेख पर विवाद करने के लिए मौखिक साक्षय देने की अनुमति दें। इसलिए, श्री मेहता द्वारा निर्दिष्ट निर्णय उनके तर्कों का समर्थन करने में कोई मदद नहीं करते हैं। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से हैं

कानून में त्रुटिपूर्ण हैं और इस प्रकार, अलग कर दिए जाते हैं।

30. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है और विशेष दीवानी मुकदमा संख्या 55/77/I में निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बहाल किया जाता है।

विशेष दीवानी मुकदमा सं. 71/80/I खारिज कर दिया जाता है। प्रत्यर्थियों को खाली करने और विचाराधीन संपत्ति के खाली भौतिक कब्जे को सौंपने के लिए दो महीने का समय दिया जाता है।

अपील

की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे